

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)

आ दे श

कमांक 598 / दो-11-01 / 2004(भाग-2),

रीवा, दिनांक 03 नवम्बर 2025

श्रीमती श्रृष्टि चौरसिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के मातृत्व अवकाश एवं संतान पालन अवकाश पश्चात कर्तव्य पर उपस्थित होने के फलस्वरूप उक्त न्यायालय पुनः संचालित होने से इस स्थापना पर गठित तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना समिति के प्रतिवेदन दिनांक 03.11.2025 से सहमत होते हुए प्रशासकीय कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नानुसार तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण का स्थानांतरण आदेश जारी किया जाकर आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	नाम कर्मचारी	कहां से	कहां को	रिमार्क
1.	श्री जितेन्द्र तिवारी, स0ग्रे0-3	असंजित, न्यायिक अभिलेखागार (दाण्डिक) रीवा से	प्रस्तुतकार, न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा (श्रीमती श्रृष्टि चौरसिया के न्यायालय में)	रिक्त स्थान पर
2.	श्री अमर सिंह, स0ग्रे0-3	असंजित, न्यायिक अभिलेखागार (सिविल) रीवा से	निष्पादन लिपिक, न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा (श्रीमती श्रृष्टि चौरसिया के न्यायालय में)	
3.	श्री अजीत सिंह, स0ग्रे0-3	सहायक सांख्यिकी लिपिक, कार्यालय अनुभाग रीवा से	साक्ष्य लेखक, न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा (श्रीमती श्रृष्टि चौरसिया के न्यायालय में)	
4.	श्री रामकृष्ण खरे, स0ग्रे0-3	डी0एस0ए0, कम्प्यूटर अनुभाग, रीवा	सहायक सांख्यिकी लिपिक, कार्यालय अनुभाग रीवा	श्री अजीत सिंह के स्थान पर नोट-श्री रामकृष्ण खरे अपने कार्य के साथ-साथ डी0एस0ए0 के कार्य में भी सहयोग करते रहेंगे।

नोट :- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

हस्ता/-

(राकेश मोहन प्रधान)

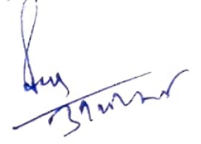
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0

पृ०क०-^{S406}/दो-11-01/2004(भाग-2),

रीवा, दिनांक 03 नवम्बर, 2025

प्रतिलिपि :-

1. न्यायालय प्रभारी अधिकारी कार्यालय अनुभाग/न्यायिक अभिलेखागार/कम्प्यूटर अनुभाग रीवा।
2. न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा।
3. पी०ए० टू माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संबंधित कर्मचारी-----की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
5. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति जिला न्यायालय रीवा की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. डी०एस०ए०/एस०ए० कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति एच.आर.एम.एस./ई.आर.पी. साफ्टवेयर में प्रविष्टि किये जाने हेतु प्रेषित।
7. लेखापाल/देयक लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म०प्र०